अश्विनी दत्तात्रेय ठकरे भा0प्र0से0, समाहर्त्ता नवादा की अध्यक्षता में दिनांक 11.02.13 को सम्पन्न राजस्व समन्वय समिति की बैठक की कार्यवाही–

उपस्थिति– पंजी के अनुसार
समय– 10.30 बजे पूर्वा0
स्थान– समाहर्त्ता प्रकोष्ठ, नवादा

बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए बिन्दुवार समीक्षा की गयी ।

1. महादलित विकास योजना– बैठक में समीक्षा के दौरान पाया गया कि गैर मजरूआ आम तथा खास भूमि की बंदोवस्ती के अंतर्गत कौवाकोल में 38, हिसुआ में 12, नरहट में 04 तथा काशीचक में 01 परिवारों को अभी बंदोवस्ती नहीं की गयी है । संबंधित अंचल अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि सभी परिवारों को भूमि उपलब्ध करा दी गयी है । निदेश दिया गया कि अविलंब लंबित मामलों संबंधी प्रतिवेदन शून्य भेजना सुनिश्चित करेंगे । काशीचक अंचल में 01 मामले लंबित रहने के संबंध में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, नवादा सदर द्वारा बताया गया यह परिवार जिले से बाहर चला गया है, इसीलिए उसे भूमि की बंदोवस्ती नहीं की जा रही है । इस संबंध में समाहर्त्ता द्वारा निदेश दिया गया कि इस आशय से संबंधित प्रतिवेदन भेजी जाय ताकि वस्तुस्थिति से सरकार को अवगत कराया जा सके ।

महादलित परिवारों का द्वितीय सर्वेक्षण कार्य समाप्त हो चुका है । इस संबंध में निदेश दिया गया कि सर्वेक्षित परिवारों में वास रहित परिवारों की संख्या का आकलन कर पॉच दिनों के अंदर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे ।

(अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी/सभी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता)

2. लोक सेवा का अधिकार– समीक्षा के दौरान पाया गया कि सभी अंचलों में प्रमाण पत्र एवं दाखिल खारिज के कई मामले समयावधि बीत जाने के बाद भी अभी तक लंबित हैं । प्रमाण पत्र में मुख्य रूप से रोह में 270, सिरदला में 94, काशीचक में 41 तथा गोविन्दपुर में 64 प्रमाण पत्र समयावधि बीत जाने के बाद भी अभी तक लंबित है । इन अंचल अधिकारियों से स्पष्टीकरण की मॉग करने का निदेश दिया गया । सभी अंचल अधिकारी किसी भी मामले का कम–से–कम पॉच दिन पूर्व निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे । आवेदन पत्र पर आवेदक से उनका मोबाईल नम्बर अंकित कराना अनिवार्य है ।

आर टी पी एस संबंधी प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि सभी अंचलों में सभी देय सेवाओं का समयावधि बीत जाने के बाद काफी संख्या में आवेदन पत्र लंबित हैं । अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा सदर/रजौली/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, नवादा सदर/रजौली को निदेश दिया गया कि समयावधि बीत जाने के बाद के मामले में विधिवत् जुर्माना करना सुनिश्चित करेंगे । साथ–ही दोनों भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बैठक के पूर्व लोक सेवा के अधिकार के तहत देय सेवाओं के निष्पादन की समीक्षा करना सुनिश्चित करेंगे ।

समीक्षा के क्रम में यह बात प्रकाश में आयी कुछ लोगों के द्वारा अंचल अधिकारी के जाली हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र निर्गत किये जा रहे हैं । इस पर समाहर्त्ता द्वारा निदेश दिया गया कि ऐसे मामले प्रकाश में आने पर अविलंब संबंधित व्यक्ति/फर्म के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे ।

(अनुपालन–सभी अंचल अधिकारी/आई टी मैनेजर, नवादा/ नोडल पदाधिकारी, लोक सेवा का अधिकार, नवादा/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अनुमंडल पदाधिकारी)

3. दाखिल खारिज– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अंचल अधिकारी के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन सत्य है । भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, नवादा सदर तथा रजौली को निदेश दिया गया कि प्रतिवेदन में निर्गत शुद्धि पत्र से संबंधित दर्ज ऑकड़ों की जॉच संबंधित अंचलों में जाकर करें तथा 48 घंटे के अंदर प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे । साथ–ही दोनों भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के तहत अंचल अधिकारियों को कार्य करने हेतु अनुमंडल स्तर पर कार्यशाला आयोजित करने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन–सभी अंचल अधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता)

4. C.W.J.C/M.J.C/Title suit से संबंधित मामले– सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालय में जो भी वाद दायर किया गया है उसका

यथाशीघ्र तथ्य विवरणी बनाकर प्रतिशपथ पत्र दायर करना सुनिश्चित करेंगे ।

(अनुपालन–सभी अंचल अधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, नवादा)

5. सेवान्त लाभ– सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि किसी कर्मी को सेवान्त लाभ देने की प्रक्रिया उसके सेवानिवृति से छः माह पूर्व प्रारंभ कर दिया जाय । साथ–ही निदेश दिया गया कि अंचल अधिकारी अपने कार्यालय में वर्ष 2013 में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों की सूची एक सप्ताह के अंदर भेजना सुनिश्चित करेंगे ताकि वरीय पदाधिकारी की उपस्थिति में उन्हें ससम्मान सेवानिवृति दी जा सके ।

सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि अपने राजस्व कर्मचारियों/लिपिकों के प्रभार का अद्यतन सूची तीन प्रति में बनाकर एक प्रति अंचल कार्यालय के रक्षी संचिका में, एक प्रति संबंधित कर्मी के पास तथा एक प्रति जिला राजस्व शाखा भेजना सुनिश्चित करेंगे ।

(अनुपालन–सभी अंचल अधिकारी, नवादा जिला)

6. नीलाम पत्र वाद– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि किसी भी अंचल अधिकारियों का नीलाम पत्र वाद के तहत कार्य संतोषजनक नहीं है । माह जनवरी 2013 में नीलाम पत्र वाद के तहत शून्य राशि वसूल करने वाले सभी अंचल अधिकारियों से स्पष्टीकरण की मॉग करने का निदेश दिया गया ।

अंचल अधिकारी, कौवाकोल, रोह तथा मेसकौर को नीलाम पत्र वाद के तहत शक्ति प्रदत्त नहीं है । अपर समाहर्त्ता, नवादा को निदेश दिया गया कि इन्हें शक्ति प्रदान किये जाने के संबंध अविलंब आवश्यक कार्रवाई की जाय ।

(अनुपालन–सभी अंचल अधिकारी, नवादा जिला/अपर समाहर्त्ता, नवादा)

7. भू–लगान– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला का कुल वसूली का प्रतिशत लक्ष्य के अनुरूप नहीं है । इनमें कौवाकोल, नरहट, मेसकौर तथा नारदीगंज की स्थिति अत्यन्त ही खराब है । सभी अंचल अधिकारियों से स्पष्टीकरण की मॉग करने का निदेश दिया गया । सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया माह फरवरी 2012 तक 80 प्रतिशत राजस्व वसूली करना सुनिश्चित करेंगे । पिछले बैठक में निदेश दिया गया था कि वसूल की गयी राशि को साप्ताहिक बैठक में राजस्व कर्मचारियों से प्राप्त कर अंचल नाजिर से ट्रेजरी चालान के माध्यम से सरकारी शीर्ष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे तथा जमा की गयी राशि का ट्रेजरी चालान की छायाप्रति जिला राजस्व शाखा में भी भेजेंगे, लेकिन किसी भी अंचल अधिकारी द्वारा चालान की छायाप्रति नहीं भेजी गयी है । पुनः निदेश दिया गया कि राजस्व कर्मचारियों से प्राप्त राजस्व की राशि को अंचल नाजिर से ट्रेजरी चालान के माध्यम से सरकारी शीर्ष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे तथा जमा की गयी राशि का ट्रेजरी चालान की छायाप्रति जिला राजस्व शाखा में भी भेजेंगे । सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि लगान वसूली हेतु सप्ताह में 04 दिन क्षेत्र में कैंप लगाना सुनिश्चित करेंगे । इसी संबंध में अपर समाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि कौवाकोल तथा मेसकौर अंचल के लिए कैंप लगाने हेतु अपने स्तर से राजस्व कर्मचारी वार तिथि एवं स्थान का निर्धारण करेंगे ।

(अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी, नवादा जिला)

8. अतिक्रमणः– इससे संबंधित मामलों की समीक्षा के क्रम में सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया । सभी अंचल अधिकारी, नवादा जिला को निदेश दिया गया कि अगली माह में विभिन्न प्रकार से अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराते हुए हल्कावार कम–से–कम एक पाईन–आहर, एक सड़क तथा एक पक्का निर्माण को तोड़ कर सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराना सुनिश्चित करें । अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा सदर/रजौली को निदेश दिया जाता है कि अतिक्रमण संबंधी कार्यों के पर्यवेक्षण अपने स्तर से करेंगे तथा कृत कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

(अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी, नवादा जिला/अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा जिला)

9. भू–अभिलेख कम्प्युटराईजेशन– सरकार के निदेशानुसार 31 मार्च तक भू–अभिलेखों का कम्प्युटराईजेशन अतिक्रमण संबंधी कार्यों के पर्यवेक्षण किया जाना है । इसकी समीक्षा के क्रम में पाया गया अभी तक स्वघोषणा प्रपत्र भरने का कार्य भी पुरा नहीं हुआ है । अपर समाहर्त्ता, नवादा को निदेश दिया गया कि भू–अभिलेखों का कम्प्युटराईजेशन संबंधी अद्यतन प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाय । इस संबंध में सभी अंचल अधिकारियों, नवादा जिला को निदेश दिया गया कि फरवरी

2013 तक तक भू–अभिलेखों का कम्प्युटराईजेशन कार्य हेतु सभी रैयतों का प्रपत्र 1 एवं 2 भर कर अनुमंडल में जमा करना सुनिश्चित करेंगे ।

(अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी/सभी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता, नवादा)

10. व्यावसायिक लगान– दोनों अनुमंडलों की समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि माह नवम्बर में बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) अधिनियम, 2010 के अंतर्गत एक भी प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी को नहीं भेजा गया है । पूर्व की बैठक में सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया था कि बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) अधिनियम, 2010 के अनुसार वैसे मामलों में जिसमें कृषि योग्य भूमि पर बिना गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन किये ही व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जैसे– चिमनी भट्ठा, क्रेशर, बड़े–बड़े स्कूल कम्पलेक्स, सिनेमाहॉल, बाजार कम्पलेक्स, गैस गोदाम, मोटरगाड़ी का शो–रूम इत्यादि बनाये गये हैं तो अधिनियम के अनुसार प्रतिवेदन संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को भेजना सुनिश्चित करेंगे । इसके आलोक में किसी भी अंचल अधिकारी के द्वारा संतोषजनक कार्य नहीं किया गया है, जिससे सरकारी राजस्व की हानि हो रही है, समाहर्त्ता द्वारा खेद प्रकट किया गया । सभी अंचल अधिकारियों को ईट–भट्ठे एवं क्रेशरों की सूची उन्हें उपलब्ध करा दी गयी है । सभी हल्का कर्मचारी एवं अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि उक्त संस्थानों पर व्यावसायिक लगान निर्धारित करने हेतु प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी को भेजना सुनिश्चित करेंगे । अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा/रजौली को निदेश दिया जाता है कि अंचल अधिकारी द्वारा भेजे गये प्रस्ताव पर विधिवत् कार्रवाई कर तत्संबंधी अंचलवार प्रतिवेदन प्रत्येक माह भेजना सुनिश्चित करेंगे ।

(अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी)

11. जन शिकायत– सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि मुख्यमंत्री सचिवालय/आयुक्त कार्यालय/जिला जनता दरबार से प्राप्त जन शिकायत पत्रों का निष्पादन 28 फरवरी 2013 तक करना सुनिश्चित करेंगे। जिन अंचलों से जन शिकायत संबंधी प्रतिवेदन अप्राप्त है उन अंचल अधिकारियों से स्पष्टीकरण की मॉग करने का निदेश दिया गया ।

12. बेदखली– अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों को विभिन्न स्रोतों से की गयी भूमि बंदोवस्ती के पश्चात् उस पर दखल कब्जा नहीं हो पाने के प्रायः कई मामले आते रहते हैं । इससे संबंधित मामले की पंजी संधारित करना अनिवार्य है । अगर किसी अंचल में बेदखली के मामले नहीं होंगे तो संबंधित अंचल अधिकारी इस आशय का प्रमाण पत्र देंगे कि **'प्रमाणित किया जाता है कि हमारे अंचल में बेदखली का कोई भी मामला नहीं है।' साथ–ही बैठक के दौरान उपलब्ध कराये गये विहित प्रपत्र में बेदखली संबंधी प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे ।**

13. भूमि वितरण के पश्चात् की गयी अग्रेतर कार्रवाई (प्रपत्र 7–बी)– समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्रतिवेदन सही नहीं है । भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, नवादा सदर/रजौली को निदेश दिया गया कि इसकी जॉच कर प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर भेजना सुनिश्चित करेंगे ।

14. गैर–मजरूआ आम तथा खास भूमि– समीक्षा के दौरान अंचल अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि भूमि का सर्वेक्षण सूची बना ली गयी है । इस संबंध में समाहर्त्ता द्वारा निदेश दिया गया कि सरकारी उक्त सूची से सबसे बड़ा प्लॉट तथा सबसे छोटा प्लॉट को चिन्हित कर उसकी सूची भेजना सुनिश्चित करेंगे । इस कार्य का पर्यवेक्षण दोनों भूमि सुधार उप समाहर्त्ता करना सुनिश्चित करेंगे ।

15. भूमि उपलब्धता प्रतिवेदन– समाहर्त्ता द्वारा निदेश दिया गया कि जिस विभाग को भवन निर्माण हेतु सरकारी जमीन उपलब्ध कराना है, उस विभाग के पदाधिकारी की अनुशंसा आवश्यक है । जैसे ऑगनबाड़ी भवन के लिए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, विद्यालय के लिये जिला शिक्षा पदाधिकारी, पंचायत सरकार भवन के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा स्वास्थ्य केंद्र के लिए सिविल सर्जन की अनुशंसा आवश्यक है ।

16. अन्य बिन्दू– सभी अंचल अधिकारी को बिन्दूवार अनुपालन प्रतिवेदन के साथ अगली बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे तथा 30–सूत्री प्रतिवेदन के साथ अनुपालन प्रतिवेदन भी भेजेंगे । साथ–ही निदेश दिया गया कि 30–सूत्री प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में कार्यावली के अनुरूप प्रत्येक माह के तीसरी तारीख तक भेजना सुनिश्चित करेंगे । अगर 3री तारीख तक प्रतिवेदन जिला राजस्व शाखा नवादा में नही भेजा जाता है तो बिना किसी कारणपृच्छा के उनके विरूद्ध कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जायेगी । सभी

अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रतिवेदन किसी सुयोग्य कर्मी के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेंगे। ताकि त्रुटियों का निराकरण कराया जा सके।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

समाहर्त्ता,
नवादा।

ज्ञापांक 217 /रा0, नवादा दिनांक 19 फरवरी 2013 ।

प्रतिलिपि : सभी अंचल अधिकारी, नवादा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा सदर/रजौली/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, नवादा सदर/रजौली/प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, नवादा/नोडल पदाधिकारी, आर टी पी एस, नवादा/ आई टी मैनेजर, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

समाहर्त्ता,
नवादा।